


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अवगत उपरखण्ड अधिकारी मुकाम मुसखण्ड
 सम्पत् बनाम मिनाराम बजौं
 किसम मुकवमा प्रांश्य 212 RTH नं० 118/24 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामीत जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

19.03.25	<p>आज यह पत्रवाली पेश डक व कुलाम पक्ष कायम 340/3 में सुना गया एवं उभय पक्ष अधिवक्ता गण की इकीलों पर मनन किया गया व पत्रवाली का कानून अध्यायन किया गया तो पाया कि सूक्ष्म का वाई मीदस एंड वाकउड, विमजान नसी डका है सट्टावादे राल का प्रत्येक रूप पक्ष का माना जाना बाकिर है ऐसी स्थल में आवश्यक मुकदमा वाजी नहीं बडे एन कानूनी पेचीरागी? पैरा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए देखा वादी स्वीकार किया जाता है।</p> <p>तथा दिनांक 13-11-24 को न्यायालय हाजा से जारी स-ध्यान ता फैसला अला पुर्य किया जाता है।</p> <p>पत्रवाली फैसल सुमा होक बाद तन्मीम जपला दाखिल दफ्तर हो।</p>	
----------	---	--


 सचिव मिनाराम बजौं
 उपखण्ड अधिकारी
 मुसखण्ड (मरिचपुरी)
 मुसखण्ड